पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2023 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :- संलग्नक-2 के अनुसार।

पेंशनर सलाहकार समिति की तृतीय बैठक अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 25-01-2023 को संपन्न हुयी जिसमें विभिन्न प्रमुख पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों तथा न्याय विभाग, कार्मिक विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं SACHIS के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पेंशनर सलाहकार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों की सूची **संलग्नक-1 पर अवलोकनीय है ।**

2- बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करते हुये निम्नानुसार मत स्थिर किया गया -

(1) समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों में से क्रमांक 1 से 13 तक के बिन्दु पेंशनर्स को कैशलेस हेल्थ कार्ड निर्गत किये जाने से संबंधित हैं । उक्त बिन्दुओं के संबंध में पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पं 0 दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस हेल्थ कार्ड योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पेंशनरों के हेल्थ कार्ड निर्गत नहीं हो पा रहे हैं तथा जिनके हेल्थ कार्ड निर्गत हो गये हैं उन्हें अस्पतालों द्वारा कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित सेवानिवृत्त कार्मिकों के विवरणों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन सेवानिवृत्त कार्मिकों को कोषागारों के माध्यम से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।

इस बिन्दु पर यह यह विचार किया गया कि एन0पी0एस0 से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विवरण का सत्यापन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष , जिसके अधीन कार्मिक सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व तैनात था , द्वारा किया जाना चाहिए।

प्रकरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होने के कारण यह मत स्थिर किया गया कि पेंशनर संगठन आपसी सहमति से एक प्रतिनिधि मण्डल गठित कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उपरोक्त बिन्दुओं को प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।)

(2) बिन्दु संख्या- 14 एवं 15 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि को आय में सम्मिलित करते हुये आयकर काटे जाने से संबंधित है ।

आय कर सम्बन्धी व्यवस्थायें केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जाती हैं तथा यह व्यवस्था उ 0 प्र 0 के पेंशनरों तक सीमित न होकर देश के सभी राज्यों के पेंशनरों पर समान रूप से लागू है । इस संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पेंशनर संगठन यदि चाहें तो स्वतंत्र रूप से केन्द्र सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देने पर विचार कर सकते हैं ।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एक अन्य बिन्दु पेंशनर संगठनों की ओर से यह उठाया गया कि वर्ष 2015 के पूर्व पेंशनरों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी दावे पेंशनरों द्वारा अपने हस्ताक्षर से कोषागारों में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी थी जिस हेतु पेंशनरों को कोषागार में उपस्थित होना पड़ता था। पेंशनर संगठनों की मांग पर शासनादेश दिनांक 09-03-2016 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी कि पेंशनर अपने चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे जनपद स्थित उनके विभाग के कार्यालय , और ऐसा कार्यालय उस जनपद में न होने की दशा में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे जिनका तकनीकी परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रकार , पेंशनर को बिल पर हस्ताक्षर करने हेतु कोषागार में उपस्थित होने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पेंशनर संगठनों द्वारा कहा गया कि पूर्ववर्ती व्यवस्था पेंशनरों के लिये अधिक सहज एवं सुविधाजनक थी , अत: पूर्ववर्ती व्यवस्था को पुन: लागू किया जाये।

इस बिन्दु पर यह मत स्थिर किया गया कि संबंधित पत्रावली जिस पर उक्त शासनादेश निर्गत किये जाने का निर्णय किया गया था , का परीक्षण कर प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही: वित्त (लेखा) अनुभाग-1)

(3) बिन्दु संख्या- 16 पेंशन के राशिकृत भाग को 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष के उपरान्त पुनर्स्थापित किये जाने की मांग से संबंधित है । पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि गुजरात राज्य सरकार द्वारा राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन 12 वर्ष पर किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं ।

वित्त विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा पेंशन के संबंध में केन्द्र सरकार की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्यवाही की जाती है । केन्द्र सरकार में राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन 15 वर्ष पर किये जाने की व्यवस्था है एवं उ 0 प्र 0 सरकार द्वारा भी तद्नुसार राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन 15 वर्ष पर किया जा रहा है । तथापि , पेंशनर संगठनों की इस मांग को केन्द्र सरकार को संदर्भित किये जाने का मत स्थिर किया गया ।

(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) बिन्दु संख्या- 17 पेंशनरों को आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत किये जाने से संबंधित है। पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पंजाब सरकार द्वारा 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पर क्रमश: 5, 10 व 15 प्रतिशत की वृद्धि पेंशन में किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 80 वर्ष की आयु पर पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की जा रही है । पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि उ 0 प्र0 सरकार द्वारा पंजाब सरकार की भांति 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पर 5, 10 तथा 15 प्रतिशत की वृद्धि पेशन में किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिये ।

यह स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है । तथापि , पेंशनर संगठनों की इस मांग को केन्द्र सरकार को संदर्भित किये जाने का मत स्थिर किया गया ।

(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन)

(5) बिन्दु संख्या- 18 एवं 19 पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के पूर्व कोषागारों द्वारा पारिवारिक पेंशनरों के सत्यापन के लिये प्रपत्र- 3 पर सूचना मांगी जा रही है जिसके कारण पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने में प्रायः विलम्ब होता है तथा पारिवारिक पेंशनरों को मानसिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

निदेशक , कोषागार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त कोषाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिये गये हैं कि जिन प्रकरणों में प्रपत्र- 3 उपलब्ध है , उन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनरों से पुनः विनिर्दिष्ट सूचनाओं की मांग न करते हुये पारिवारिक पेंशन तत्परता से प्रारम्भ कर दी जाय । जिन प्रकरणों में प्रपत्र- 3 उपलब्ध नहीं है , उनमें प्रपत्र- 3 प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता होगी ।

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि समस्त जनपदों के कोषागारों द्वारा ऐसे पेंशनरों जिनके प्रपत्र- 3 उपलब्ध नहीं है , की सूची स्थानीय पेंशनर संगठनों को उपलब्ध करा दी जाय । पेंशनर संगठन पेंशनरों से समन्वय करते हुये प्रपत्र- 3 पूर्ण कराने की कार्यवाही करायेंगे ।

(कार्यवाही : निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश)

(6) बिन्दु संख्या- 20 पेंशन भुगतानादेश में पारिवारिक पेंशनर तथा जीवन कालीन अवशेष हेतु परिवार के सदस्यों का नामांकन पी 0 पी 0 ओ 0 में किये जाने से संबंधित है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निदेशक , पेंशन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में निर्गत किये जाने वाले पेंशन भुगतानादेशो में पारिवारिक पेंशनर का विवरण तथा जीवन कालीन अवशेष हेतु परिवार के सदस्यों का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित रहता है । यह व्यवस्था जुलाई, 1989 से लागू है। इसके पूर्व के प्रकरणों में इस प्रकार की सूचना का अंकन पेंशन भुगतानादेश में नहीं रहता था जिसके कारण ऐसे प्रकरणों में पेंशनर्स की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ करने अथवा जीवनकालीन अवशेष का भुगतान करने के पूर्व कोषागारों द्वारा तहसील के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन कराने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता था/है।

(7) बिन्दु संख्या-21 दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण कराये जाने से संबंधित है।

निदेशक , कोषागार द्वारा अवगत कराया गया कि 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण प्रथमतः अपुनरीक्षित पेंशन में 2.57 का गुणा करते हुये किये जाने के आदेश निर्गत किये गये जिसके अनुसार कोषागारों द्वारा शत-प्रतिशत पुनरीक्षण कर दिया गया । इसके उपरान्त केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था लागू की गयी कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों के अंतिम आहरित वेतन का दिनांक 01.01.2016 को नोशनल पुनरीक्षण करते हुये पेंशन पुनरआगणित की जाय । इस प्रकार निर्धारित होने वाली पुनरीक्षित पेंशन तथा 2.57 के गुणांक पर आधारित पुनरीक्षित पेंशन , दोनों में से जो अधिक हो वह दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी । नोशनल वेतन निर्धारण पेंशनर के पूर्व कार्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुये पेंशन के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव पेंशन भुगतानादेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना है जिसके आधार पर संशोधित पेंशन भुगतानादेश निर्गत किया जायेगा ।

यह स्पष्ट किया गया कि नोशनल वेतन निर्धारण की कार्यवाही जिन विभागों द्वारा नहीं की गयी है , उनके पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण उक्त व्यवस्था के अनुसार नहीं हो सका है । यह भी अवगत कराया गया कि वित्त (समान्य) अनुभाग- 3 द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु शासनादेश वर्ष 2018 में निर्गत किया जा चुका है। अनुश्रवण की कार्यवाही निदेशक , पेंशन द्वारा की जानी है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि निदेशक, पेंशन द्वारा प्रभावी अनुश्रवण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश निर्गत कर दिये जायें तथा शासनादेश के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के प्रकरणों का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।

(कार्यवाही : निदेशक, पेंशन)

बैठक के अंत में अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा यह निर्देश दिये गये कि समिति की आगामी बैठक तीन माह के उपरान्त पुन: आहूत की जाये।

बैठक का समापन सधन्यवाद मत से किया गया।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: 3/2023/आई/272529/2023-फा0नं0-10-22099/563/2020
लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, वित्त/गृह/न्याय/कार्मिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा के निजी सचिव।
(2) विशेष सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन।
(5) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन।
(6) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।
(6) श्री शिव प्रकाश (से0नि0) विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मान्चल नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) गवर्नमेण्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23 रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।

(9) सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेशनर्स एसोसिएशन, उ0प्र0, 91/76 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(10) उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81 सेक्टर जी, अलीगंज, लखनऊ।

(11) पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स एसोसिएशन, उ0प्र0, 32-बी, अग्निपथ, एल0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू मार्ग, लखनऊ।

(12) उ0प्र0 सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 54 कैण्ट रोड, उदयगंज, लखनऊ।

(13) उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान-19/47 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(14) सेवानिवृत्त डिप्लोमा इन्जीनियर्स कल्याण संघ, राय भवन, 630 अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ-226001 ।

(15) उत्तर प्रादेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद, उ0प्र0, उत्तर प्रदेशीय शिक्षक भवन, 87/9 रिसालदार पार्क, लखनऊ-226018 ।

(16) सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उ0प्र0, 19/76 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 में विचारार्थ रखे गये बिन्दुओं की सूची:-

1- Cashless Card सभी पेंशनर्स को निर्गत नहीं हो पाए हैं|

2- SACHIS संस्था Cashless card निर्गत करती है परन्तु क्षमता प्रतिदिन 100 कार्ड है | उक्त क्षमता बढ़ाई जाये तभी सभी को कार्ड निर्गत हो पायेंगे |

3- जिन्हें निर्गत हैं उन्हें अस्पतालों द्वारा Cashless इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है क्योंकि अस्पताल प्रशासन कहता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं |

4- पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मी कैशलेस हेल्थ कार्ड योजना में आ रही परेशानियों को दूर कराया जाये।

5- APPLY FOR STATE HEALTH CARD साफ्टवेयर में पद वाले कालम में सभी विभागों के पदों का समावेश नहीं है। साथ ही APPLY FOR STATE HEALTH CARD में प्रारम्भ में पदनाम जोड़ने की व्यवस्था थी, जिसे समाप्त कर दिया गया है।

6- जो हेल्थ कार्ड डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा सत्यापित कर दिये जाते है, उनकी के0वाई0सी0 आनलाइन करने के बाद कार्ड निकालने में एक से दो दिवस लग रहें है, जिससे पेंशनरों को असुविधा होती है।

7- राज्य सरकार के पेंशनर जो अन्य राज्यों में रह रहें तथा पेंशन प्राप्त कर रहें है, उनके कार्ड नहीं बन पा रहे है, कृपया व्यवस्था करायी जाये।

8- प्रदेश व प्रदेश के बाहर के आयुषमान भारत योजना से आच्छादित निजी चिकित्सालयों में इलाज हेतु गाइडलाइन जारी कर सार्वजनिक की जाये ताकि पेंशनरों को परेशानी न हो।

9- सभी आयुषमान भारत योजना से आच्छादित चिकित्सालायों/मेडिकल कालेजों, जिला चिकित्सालयों में मा0 मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मी/पेंशनर निशुल्क चिकित्सा योजना के बोर्ड, होल्डिंग लगवाई जाये।

10- आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध चिकित्सालय में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, यूरो कैन्सर, हृदय रोग, आई कार्नियॉ आदि बीमारियों हेतु अलग-अलग स्पेशलिटी के अनुसार चिकित्सालय अधिकृत किये गये है। प0 दीन दयाल उपाध्याय कैसलेस हेल्थ कार्डो पर यही व्यवस्था रहेगी या सभी बीमारियों का इलाज निजी चिकित्सालय कर सकेंगे इसकी गाइड लाइन जारी की जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- प0 दीन दयाल उपाध्याय कैसलेस हेल्थ कार्ड स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज) द्वारा निजी चिकित्सालय की समीक्षा किये जाने हेतु नियुक्त कोऑर्डिनेटरों के नाम, पता व मोबाइल नं0 जिला चिकित्सालयों के सूचना पट पर अंकित कराये जाये।

12- प0 दीन दयाल उपाध्याय कैसलेस चिकित्सा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी समाहित किया जाय।

13- चिकित्सा व्यय पूर्ति के निस्तारण हेतु चिकित्सा विभाग सहित विभाग में निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की जाय।

14- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान की धनराशि में आयकर की कटौती जनपदों में की जा रही है जो नियमानुसार उचित नहीं है क्योंकि पेंशनर द्वारा चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि पर वह पूर्व में आयकर भुगतान कर चुका होता है। चिकित्सा पर व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति धनराशि आय का स्रोत नहीं है। अत: आयकर की कटौती समाप्त करायी जाए।

15- Medical Reimbursement की धनराशि को आय में शामिल करके आयकर काटा जा रहा है।

समिति की संस्तुति- अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त एजेण्डा बिन्दु के 14-15 पर कार्यवाही वित्त विभाग से नहीं की जानी है। इन बिन्दुओं पर कार्यवाही आयकर विभाग भारत सरकार से होनी है। अत: उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु पेंशनर संगठन भारत सरकार से अनुरोध करें।

16- राशिकरण की कटौती की अवधि 15 वर्ष है जिसे 12 वर्ष किया जाए क्योंकि प्रतिपूर्ति सामान्य रूप से 12 वर्ष में हो रही है |

समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि गुजरात राज्य में राशिकरण की कटौती की अवधि 12 वर्ष निर्धारित की गयी है। इसलिये उत्तर प्रदेश राज्य में भी राशिकरण कटौती की अवधि 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष किया जाय।

समिति की संस्तुति- अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उक्त बिन्दु का परीक्षण कर लिया जाय।

17- 65,70 तथा 75 वर्ष की आयु पर 5,10 व 15 प्रतिशत की पेंशन में वृद्धि की जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18- पारिवारिक पेंशन के Profarma-3 में पारिवारिक पेंशनर का उल्लेख रहता है परन्तु कई जनपदों में पारिवारिक पेंशनर का पुन: सेवानिवृत्ति के कार्यालय से सत्यापन माँगा जा रहा है | जबकि पारिवारिक पेंशनर का सत्यापन आधार कार्ड एवं फोटो से किया जा सकता है |

19- पूरे प्रदेश में प्रोफार्मा में एक रूपता नहीं है।

20-(अ)पारिवारिक पेंशन तथा एकल पेंशनर्स के लिए नामिनेशन की व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाये।

(ब) पेंशनर्स की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन भुगतान हेतु राजस्व विभाग द्वारा जॉच कराने सहित प्रपत्र-3 की पेशनर्स की सेवारत विभाग के कार्याध्यक्ष से पूर्ण कराने की मांग किये जाने की परम्परा पर कड़ाई के साथ रोक लगायी जाये तथा प्रपत्र 30 सी0एस0आर0 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 22 दिसम्बर 1983 एवं 16 मई 1983 के अनुसार कार्यवाही कर तत्काल पारिवारिक पेंशन एवं जीवनकालीन अवशेष का भुगतान कराया जाये।

21- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश 18 जुलाई 2017 के अनुसार 01 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्ति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 01 जनवरी 2016 को प्राप्त पेंशन का 2.57 के गुणांक के आधार पर सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि को प्राप्त वेतन को उक्त तिथि के उपरान्त प्रकल्पित वेतन के आधार पर सभी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। विशेष रूप से पारिवारिक पेंशनर्स अधिकतर जनपदों में पीड़ित है।

22- जनपद एवं मण्डल मुख्यालय पर क्रमश: जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में पेंशनरों की समस्याओं पर प्रतिमाह बैठक आयोजित करायी जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

उपस्थिति :-

क्रमांक	नाम/पदनाम	संगठन/विभाग	मो0 नं0
1	2	3	5
2	श्री अरूण कुमार सिंह	निदेशक, पेंशन निदेशालय	9415005644
3	श्री प्रतिमा मिश्रा ओ0एस0डी0(कैम्प)	कोषागार, निदेशालय	8765923519
4	श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री	उ0प्र0 पेंशन कल्याण संस्थान	9335259493
5	श्री अमर नाथ यादव	सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन	9415195245
6	श्री ओ0पी0 त्रिपाठी, महामंत्री	सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उ0प्र0	9454702263
7	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष	सचिवालय पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन	9415560152
8	श्री जगमोहन लाल वैश्य,अध्यक्ष	विद्युत पेंशनर परिषद	7985320617
9	श्री ई. आर0 के0 भाटिया, प्रांतीय अध्यक्ष	सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ सहयोग एवं उ0प्र0	9335209338
10	श्री बी0के0 तिवारी	महामंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान, उ0प्र0	9415532437
11	श्री कप्तान सिंह	महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0प्र0	9984040271
12	श्री राकेश कुमार	गृह विभाग	9454413015
13	श्री एस0पी0 सिंह	सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स संगठन	9415035598
14	श्री मुकेश कुमार जैन	वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	9412890414
15	श्री बलवन्त प्रसाद	सेवानिवृत्त डिप्लोमा एण्ड इंजीनियर सेवा कल्याण समिति	9793017773

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16	श्री राम सनेही यादव	पी0डी0एस0 रिटायर्ड अधिकारी एसोसिएशन	9415740985
17	श्री इं. अख्तर अली फारूकी	गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाईजेशन	9335203574
18	श्री शिवशंकर दुबे	फोरम ऑफ रिटायर्ड इंजीनियर इण्डिया	9936662638
19	श्री महेन्द्र त्रिपाठी	उपाध्यक्ष पी0पी0एस0 रिटायर्ड आफिसर्स एसोसिएशन	9336249938
20	श्री सत्यदेव सिंह	बेसिक शिक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ	8400840407
21	श्री टी0एन0 द्विवेदी	महासचिव,संगठन रिटायर्ड एसोसिएशन	9415317007
22	श्री एन0पी0 त्रिपाठी	संयोजक संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति	9450001328
23	श्री गुलाब चन्द्र तिवारी	महामंत्री, उ0प्र0 सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षक कल्याण परिषद	9198052030
24	श्री रूप नारायण बैसवार	सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद	9452465220
25	श्री राजेश प्रताप सिंह	विशेष सचिव, कार्मिक	9454411365
26	श्री निकुंज मित्तल	विशेष सचिव, न्याय	9917176737
27	श्री अज़ीज अहमद	संयुक्त सचिव, मेडिकल हेल्थ	9454412761
28	श्री डा0 वी0के0 पाठक	जी0एम0, साचीज	9076900407

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।